सत्र वाद संख्या-१४६/२०२३
सरकार बनाम भोला गुर्जर व अन्य

दिनांक–११.१२.२०२३

पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित।

वादिया मुकदमा द्वारा प्रार्थनापत्र २४ए१ अन्तर्गत धारा २११ व २१६ द.प्र.सं. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के माध्यम से प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्तगण भोला गुर्जर, कप्तान सिंह गुर्जर, बल्लू गुर्जर उर्फ बलवान सिंह व जरदान गुर्जर की मृतक पंकज परिहार से पुरानी दुश्मनी थी। अभियुक्तगण ने योजनाबद्ध तरीके से जान से मारने की नियत से मृतक पंकज परिहार पर लाठी, डण्डा एवं लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया। अभियुक्तगण ने मृतक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों सहित १२ से अधिक चोटे पहुंचाई। मृतक पंकज परिहार ने दिनांक २१.०९.२०२२ को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि उसका मस्तिष्क, किडनी, फेफड़े और लीवर क्षतिग्रस्त हो गये थे। चोटो की प्रकृति से अभियुक्तगण के मृतक की हत्या करने का इरादा पता चलता है। अभियुक्तगण हथियारों से लैस होकर मृतक का पीछा कर पंचायत भवन के सामने रास्ते में घेर लिया। अभियुक्तगण के आचरण से पता चलता है कि उन्होने अपने उद्देश्य के लिये मृतक पर जानलेवा हमला किया। विवेचक अभियुक्तगण के पक्ष में था और यहां तक कि कुछ अभियुक्तगण के नाम हटाना चाहता था इसलिये उसने अपराध को कम करने की कोशिश की और धारा–३०२ भा.द.सं. के स्थान पर धारा ३०४ भा.द.सं. के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियुक्तगण ने जानबूझकर मृतक पर पूर्व नियोजित तरीके से हमला किया ताकि उसकी मौत हो जाए। कथित घटना अचानक हुये झगड़े का मामला नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त दस्तावेजी एवं चिकित्सीय साक्ष्य मौजूद है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ३०२ भा.द.सं. के तहत हत्या का आरोप तय करने की याचना की है।

वादिया मुकदमा की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुत विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी–

1. State of U.P. Vs. Jai Dutta & Anr., [2022(1) JIC 353(SC)]
2. State of Jharkhand Vs. Shailendra Kumar Rai @ Pandav Rai, [2023(1) JIC 588 (SC)]

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुये, प्रार्थनापत्र दिनांकित ११.१२.२०२३ प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्तगण एवं मृतक पंकज परिहार के मध्य पूर्व में कभई कोई मुकदमा नहीं चला, न ही किसी पक्ष ने एक दूसरे के विरूद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज करायी तब यह कह देना कि अभियुक्तगण व मृतक के मध्य पुरानी रंजिश है, कतई गलत एवं मनगढ़न्त है। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक ११.०९.२०२२ को पंकज अहिरवार को लाठी, डण्डा एवं लोहे की रॉड से कोई चोट नहीं पहुंचाई, न ही किसी तरह की कोई घटना कारित की गयी,यह तथ्य इससे भई स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक १२.०९.२०२२ को मात्र दो अभियुक्तगणों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है और बाद में विधिक सलाह के आधार पर अभियुक्तगण भोला, कप्तान, बल्लू के पिता जरदान जो कि ७० वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा चलने फिरने में भी कष्ट महसूस करते है एवं १५ वर्षीय विकास एवं १६ वर्षीय अभिषेक को झूठा फंसाकर अभियुक्तगण के पूर्ण परिवार को झूठा फंसा दिया है। दिनांक ११.०९.२०२२ को मृतक पंकज परिहार का चिकित्सीय परीक्षण महारानी लक्ष्मीबाई मेडीकल कालेज झाँसी में कराया गया है, जिसमें मृतक के शरीर पर कुल पांच चोटें आना दर्शायी गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण सेप्टीसीमिया एंटी मार्टम इजरी बताया गया है। मृतक अत्यधिक शराब पीने का आदी था और तथाकथित घटना के समय भी काफी शराब पिये हुये था। घटना की दिनांक ११.०९.२०२२ के पश्चात दिनांक २१.०९.२०२२ को पोस्टमार्टम हुआ है, तब मृतक के शरीर पर जो जोटे पायी गयी, वह दिनांक ११.०९.२०२२ को मृतक के पिता द्वारा मेडिकल कालेज झाँसी में कराये मेडिकोलीगल से भिन्न है तथा विवेचक महोदन ने दिनांक ११.०९.२०२२ से दिनांक २१.०९.२०२२ के मध्य मृतक को किसने और कैसे चोटे पहुचांई, इस तथ्य की विवेचना नहीं की गयी, यदि पोस्टमार्टम में दर्शायी गयी मृतक की चोटें दिनांक ११.०९.२०२२ को मृतक के शरीर पर होती तो उसी दिनांक ११.०९.२०२२ को ही मृतक के चिकित्सीय परीक्षण में आ जाती, इस प्रकार यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि बाद में दिये गये बयान व अन्य कार्यवाहियां अनुचित रूप से प्रभावित कर, करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिया ने स्वयं अंकित किया है कि दिनांक ११.०९.२०२२ को मेरे पति पंकज परिहार घर से गांव की तरफ जा रहे थे और लाठी डण्डों से काफी पीट दिया, जिससे मेरे पति को गंभीर चोटे आयी है। यदि इस कथन को अभियोजन अनुसार कुछ देर के लिया मान भी लिया जाए तो भी स्पष्ट है कि अचानक रास्ते में कोई विवाद होने के कारण ही मारपीट की घटना बिना किसी उद्देश्य से हुयी होगी, जबकि ऐसी घटना हुयी ही नहीं, इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा ३०२ भा.द.सं. में किसी भी प्रकार का आरोप नहीं बनाया जा सकता है।

अभियुक्तगण की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुत विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी–

Digitally signed by PADAM NARAIN MISHRA
Date: 2023.12.11 17:35:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

1. Kali Prasad Vs. State of U.P., [2022(3) JIC 191 (All.)]

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादिया मुकदमा द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में अभियुक्तगण भोला गुर्जर एवं कल्लू गुर्जर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा ३२३, ५०४, ५०६ भा.द.सं. में प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें वादिया मुकदमा ने कथन किया है कि दिनांक ११.०९.२०२२ को मेरे पति पंकज परिहार करीब ०२.०० बजे दिन घर से गांव की तरफ जा रहे थे, तभी गांव के भोला गुर्जर व कल्लू गुर्जर ,जो मेरे पति को रास्ते में मिल गये और लाठी डण्डों से काफी पीट दिया, जिससे मेरे पति को गंभीर चोटे आयी, सिर में भी चोट आयी। चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार मजरूब को चार चोटें आना दर्शित है तथा मजरूब के सिर में एक गंभीर चोटे तथा हाथ व पैर में फ्रैक्चर होने के कारण प्रश्नगत मामलें में धारा-३०८ व ३२५ भा.द.सं. की बढोत्तरी की गयी। दौरान इलाज मजरूब की दिनांक २१.०९.२०२२ को संजीवनी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गयी। मृतक की मृत्यु रायपंचान में विपक्षीगण द्वारा की गयी मारपीट से आई गंभीर चोटों के कारण होना बतायी गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण death is septic shock due to septicemia due to antimortem injuries का उल्लेख किया गया, जिसके आधार पर उपरोक्त मामलें में धारा-३०८ भा.द.सं. को धारा ३०४ भा.द.सं. में परिवर्तित किया गया है। विवेचना सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही निष्पादित करते हुये विवेचक द्वारा अभियुक्तगण भोला गुर्जर, कल्लू गुर्जर, कप्तान सिंह गुर्जर, बल्लू गुर्जर उर्फ बलवान, जरदान तथा बाल अपचारी गोलू उर्फ विकास गुर्जर व अभिषेक गुर्जर के विरूद्ध धारा १४७, १४९,३०४,३२५,३२३, ५०४,५०६ भा.द.स. में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथित घटना का कोई मोटिव प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताया गया है, बल्कि कथित घटना अचानक रास्ते में वाद विवाद हो जाने के कारण घटित होना प्रथम दृष्टया प्रकट होती है। यह उल्लेखनीय है कि अचानक हुये विवाद, जिसमें अभियुक्तगण को न तो पूर्व ज्ञान हो, न ही कोई उद्देश्य हो, तो ऐसी स्थिति में प्रकरण का विचारण धारा-३०४ भा.द.सं. में किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं के ससम्मान अवलोकन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत मामलें में प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य धाराओं (धारा-१४७,१४९,३२५,३२३, ५०४,५०६ भा.द.सं.) के साथ धारा-३०४ भा.द.सं. का अभियोग गठित होना प्रकट होता है, न कि धारा-३०२ भा०द०सं०।

अतः मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वादिया मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र २४ए१ **निरस्त** किया जाता है। तदनुसार आपत्ति अभियुक्तगण दिनांकित ११.१२.२०२३ **निस्तारित** की जाती है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक... ... ...को पेश हो। अभियुक्तगण नियत तिथि पर व्यक्तिगण रूप से उपस्थित हो।

(पी०एन०मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।